भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3908

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को दिया जाना है

ऑनलाइन विवाद समाधान

3908. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

श्री मनोज कोटक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रभावी न्याय के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करते हुए ऑनलाइन विवाद समाधान शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समाज का एक बड़ा वर्ग अब प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करके वहनीय, प्रभावी और समय पर न्याय प्राप्त करने में सक्षम है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : भारत में ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) की धारणा आरंभिक स्तर पर है । भारत में ऑनलाइन विवाद निपटान (ओडीआर) के लिए प्रभावी क्रियान्वयन फ्रेमवर्क सृजित करने के अनुक्रम में नीति आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के अधीन जून 2020 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी । समिति एक क्रियात्मक योजना विकसित करने के लिए अपेक्षित थी, जो ओडीआर को मुख्य धारा में शामिल कर सके और इस प्रकार ओडीआर के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ाया जा सके ।

समिति की "विवाद निपटान के भविष्य की डिजाइनिंग : भारत के लिए ओडीआर नीति योजना" शीर्षक रिपोर्ट 19.11.2021 को जारी की गई थी । रिपोर्ट भारत में ओडीआर फ्रेमवर्क ग्रहण करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए तीन स्तरों पर उपाय करने के लिए सिफारिश करती है ।

(i) संरचनात्मक स्तर पर, यह डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, डिजिटल अवसंरचना के लिए पहुंच में सुधार करने और ओडीआर सेवाएं प्रदान करने के लिए तटस्थों के रूप में प्रशिक्षित व्यवसायियों को कार्रवाई के लिए सुझाव देती है ।

(ii) व्यवहारिक स्तर पर, रिपोर्ट सरकारी विभागों और मंत्रालयों सहित विवादों को संबोधित करने के लिए ओडीआर को ग्रहण करने की सिफारिश करती है ।

(iii) विनियामक स्तर पर, रिपोर्ट ओडीआर प्लेटफार्म और सेवाएं विनियमित करने के लिए सहज स्पर्श पहुंच की सिफारिश करती है । इसमें पारस्थिकि तंत्र में विकास और नवाचार को बढावा देते समय स्व-विनियमित करने के लिए ओडीआर सेवा प्रदाताओं को मार्गदर्शन करने हेतु डिजाइन और नैतिक सिद्धांतों को अभिकथित करना अंतर्वर्लित है ।

रिपोर्ट कानूनों के आवश्यक संशोधनों के पुर:स्थापन द्वारा ओडीआर के लिए विद्यमान विधायी फ्रेमवर्क की मजबूती पर भी बल देती है । रिपोर्ट भारत में ओडीआर के लिए प्रावस्थाबद्ध कार्यान्वयन फ्रेमवर्क प्रस्तुत करती है ।

भारत सरकार ने देश में ओडीआर तंत्र को मजबूत करने के लिए पहले से ही कदम उठाने शुरु कर दिए है । ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम को स्वीकार करते हुए मध्यकता विधेयक, 2021 जो 20.12.2021 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था, के अधीन ऑनलाइन मध्यकता के लिए उपबंध का प्रस्ताव किया गया । ऑनलाइन मध्यकता भारतीय मध्यकता परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जानी है । विधेयक वर्तमान में कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की समीक्षा के अधीन है ।

****